Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

मानवाधिकार संरक्षण : एक परिदृश्य

डॉ0 अलका चतुर्वेदी
भूतपूर्व शोध छात्रा
हेमवती नन्दन बहुगुणा
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
गढ़वाल (श्रीनगर), उत्तरखण्ड,भारत।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 70-76
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश – देश में लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए मानवाधिकारों की स्थापना एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था का होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु वहाँ के लोगों का इन अधिकारों के प्रति जागरूक होना भी आवश्यक है। जनसंचार के आधुनिक व परम्परागत साधनों का उपयोग जागरूकता व प्रसार में बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

मुख्यशब्द – मानवाधिकार, संरक्षण, आधुनिक, जनसंचार, सामाजिक, राजनीतिक।

''अधिकार सामाजिक जीवन की यह परिस्थितियाँ हैं, जिसके बिना कोई व्यक्ति सर्वोत्तम रूप पाने की आशा नही कर सकता।'' लास्की के इस कथन से असहमत नहीं हुआ जा सकता। वर्तमान समय में बढ़ती हुयी सामाजिक–राजनीतिक अव्यवस्था ने मानव अधिकारों के प्रति सक्रियता को आवश्यक तथा प्रासंगिक बना दिया है। मानवाधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो एक मानव को मानव होने के नाते मिलने चाहिए, वे अधिकार जो उसमें मानव होने के नाते अन्तर्निहित है, वे अधिकार जो एक मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। अतः मानव अधिकार वे अधिकार है जिन पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार होता है; ताकि वे आज़ादी के साथ अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सके।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी विचार का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O) की महासभा द्वारा **10 दिसम्बर, 1948 को ''मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा''** (UDHR) से प्रारम्भ हुआ। इस घोषणा–पत्र में एक विस्तृत प्रस्तावना के अतिरिक्त 30 अनुच्छेद हैं जिन्हें **'मानवता के मैग्नाकार्टा'** के रूप में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित मानवाधिकारों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकते हैं–

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

1. **नागरिक और राजनीतिक अधिकार**–इन्हें **'प्रथम पीढ़ी'** के मानवाधिकार भी कहा जाता है। इसके अनतर्गत मौलिक स्वतंत्रता की मूल भावना, जीवन एवं राज्य के द्वारा कई हस्तक्षेपों से स्वतंत्रता आदि आते हैं।
2. **आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार–** इन्हें '**द्वितीय पीढ़ी**' के मानवाधिकारों के अन्तर्गत रोजगार का अधिकार, शिक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर की बुनियादी आवश्यकताएं, सामाजिक सुरक्षा आदि आते हैं। घोषणा–पत्र के **अनु0 22, 23, 24, 25, 26, 27** इन्हीं से सम्बन्धित है।
3. **आत्म निर्णय का अधिकार, विकास का अधिकार–** उपेक्षित वर्गों के लोगों के विशेष संरक्षण का अधिकार जैसे नवोदित मानवाधिकार 'तीसरी पीढ़ी' के कहे जाते हैं। जो व्यक्तिगत न होकर सामूहिक है।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना तथा **'अनु0 1, 13, 55, 56, 62, 68** मानवाधिकारों को बढ़ावा देने से सम्बन्धित है।

मानवाधिकार से आशय

मानवाधिकार से तात्पर्य किसी भी जाति, धर्म, लिंग अथवा अन्य किसी सामाजिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारते हुए सभी व्यक्तियों को समुचित शिक्षा, रहन–सहन, जीवन–यापन, मान–मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ समाज में रहने के समान रूप से अवसर प्रदान करना है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु न्छव् का प्रयास

मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्न आयोगों एवं उप–आयोगों की स्थापना की गई है–

- मानवाधिकार आयोग, 1986
- सूचना एवं प्रेस की स्वतंत्रता का उप–आयोग, 1946 (1951 में समाप्त)
- अल्पसंख्यक संरक्षण और विभेद निवारण उप आयोग, 1947
- स्त्री प्रस्थिति आयोग, 1946
- शरणार्थी प्रस्थिति आयोग, 1951
- सामाजिक विकास आयोग
- अपराध निवारण और दण्ड न्याय आयोग

इन आयोगों द्वारा मानवाधिकारों के मामले में अध्ययन करके अनेक प्रसंविदाएँ एवं घोषणायें (Conventions and Declaration) की जाती है जो इस दिशा में लाभदायक सिद्ध हुई है। **प्रोविजनल एजेण्डा, 2001** की इस दिशा में महत्त्वपूर्ण है। जेनेवा में स्थित **मानवाधिकार केन्द्र** भी मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में सतत् कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **20 दिसम्बर, 1993** को मानवाधिकार संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के पद का सृजन किया गया।

मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु न्छव् के अन्तर्गत अनेक एजेंसियाँ कार्यरत हैं। जैसे, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) 1919, यूनेस्को (UNESCO) 1946, संयुक्त राष्ट्र बाल–कोष 1946।**

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण हेतु अनेक गैर–सरकार संगठन भी क्रियाशील है। जैसे–इंटरनेशन कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स (1952), माइनारिटी राइट्स ग्रुप लंदन (1965), एमनेस्टी इंटरनेशन लंदन (1961), ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयार्क (1978), अफ्रीका वॉच, एशिया वॉच, अमरीका वॉच, हेलसिंकी वॉच, फूडफर्स्ट इनफार्मेशन ऐंड एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल(FIAN), 1986, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव(CHRI)]1987, एंटी–स्लेवरी इंटरनेशनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स! विश्वजनीन घोषणा के अलावा अनेक 'अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (Conventions) मानवाधिकार संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण है। यथा–मानवाधिकार सम्बन्धी यूरोपीय अभीसमय 1950, हेल्सिंकी समझौता, 1975, जनवादी एवं मानव अधिकार सम्बन्धी अफ्रीकी अधिकार पत्र, 1981।

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण प्रावधान

भारत में मानवाधिकारों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारतीय संविधान स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता तथा व्यक्ति अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा व बंधुता को बढ़ाने के राजनैतिक मूल्यों पर आधारित है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति–निर्देशक सिद्धान्त और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के समझौतों तथा आर्थिक–सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की भावना को व्यक्त करते हैं। भारतीय संविधान के **अनु0 14, 15, 16(1), 19(1)(क), 19(1)(ख), 20(1), 21, 23(1), 25(1), 29(1), 30(1)** में मानवाधिकार सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं। मानवाधिकारों पर आधारित न्याय–विचार संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों (अनु0 36–51) से स्पष्ट है।

भारत में मानवाधिकार संरक्षण हेतु विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। जैसे–**संविधान के 65वें संशोधन अधि0 1990 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग, 1991 में गठित 'राष्ट्रीय महिला आयोग' राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 तथा 14 अगस्त, 1993 को गठित राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग** इत्यादि।

विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के संदर्भ में बढ़ती हुई जागरूकता को देखते हुए **मानवाधिकार संरक्षण अधि0 1993**, के आधार पर **27 सितम्बर, 1993 को 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NCHR)] 'राज्य मानव अधिकार आयोग' (SHRC)** की स्थापना की गई। इस सम्बन्ध में 'विधि आयोग' की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर पर अनेकों स्वैच्छिक संस्थाएं मानवाधिकार संरक्षण के दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भारतीय मानवाधिकार संरक्षण अधि0 1993 की धारा 12(1) में गैर सरकारी संगठनों की प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। पी0यू0सी0एल0 (1976), पी0यू0डी0आर0 (1977), पैरवी (नई दिल्ली), एन0सी0पी0एन0आर0 (केरल), सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी (गोवा), बेटी फाउंडेशन, वात्सल्य (लखनऊ), प्रयास (दिल्ली), बंधुआ मजदूर मोर्चा प्रमुख गैर–सरकार संगठन है जो मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्यरत है।

मानवाधिकार संरक्षण :

9 दिसम्बर, 1998 को महासभा के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अनुसंशा पर एक प्रस्ताव अंगीकार किया गया जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:–

- प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों की अभिवृद्धि, संरक्षण एवं सूचना पाने का अधिकार होगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को सम्मेलन करने, संगठनों, संघों इत्यादि को गठित करने तथा भागीदारी का अधिकार होगा तथा साथ ही मानवाधिकार उल्लंघन के विषय में संगठित होने का अधिकार होगा।
- प्रत्येक राज्य का प्राथमिक कर्त्तव्य होगा कि वह सभी प्रकार के मानवाधिकारों का संरक्षण करें।

अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के माध्यम से **संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण** हेतु निम्न मोर्चो पर सक्रियता है–

1. **वैश्विक विवेक के रूप में,** संयुक्त राष्ट्र ने देशों द्वारा स्वीकार्य आचरण के अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं।

2. **कानून–निर्माता के रूप में,** अंतर्राष्ट्रीय कानून को अभूतपूर्व ढंग से संहिताबद्ध किया है। अपील मंच के रूप में भी संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है।
3. संयुक्त राष्ट्र यह भी भूमिका अदा करता है कि मानवाधिकारों की मात्र सिद्धान्त के तौर पर परिभाषा करके इतिश्री न मान ली जाए बल्कि उन्हें व्यवहार में भी अपनाया जाए।
4. **शोधकर्ता के रूप में,** संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ब्भ्त संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा मानवाधिकारों मुद्दों पर मांगी गई रिपोर्ट और अध्ययन तैयार करता है और विश्लेषण करता है कि किस तरह की नीतियाँ, प्रणलियाँ, संस्थाएँ मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ा सकती है।
5. मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार उल्लंघनों की घटनाओं पर नजर रखने के लिए तंत्र स्थापित करते हैं तथा मानवाधिकार को मजबूत बनाने के उपायों का सुझाव देते हैं।
6. महासचिव और मानवाधिकार उच्चायुक्त कैदियों की रिहाई, मृत्युदण्ड की जगह साधारण कैद की सजा लागू कराने और अन्य मुद्दों पर सदस्य देशों के साथ मानवाधिकार मुद्दों पर अत्यन्त गोपनीय ढंग से बात करते हैं। महासचिव विवेकशील राजनयिक के रूप में भूमिका अदा करते हैं ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी चिंता को उचित ठहरा सके।

मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अन्य प्रयास

1. देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक हितों के कल्याण हेतु **1978 में अल्पसंख्यक आयोग** का गठन।
2. अनुसूचित–जाति तथा जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन**।
3. महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रभावी क्रियानवयन तथा उल्लंघन के परीक्षण हेतु **1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन।**
4. कारखानों तथा जोखिम उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके पुनर्वास हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत **बाल श्रमिक पुनर्वास कोश की स्थापना।**
5. 6–14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देना।
6. अभी हाल हीं में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा रोकने सम्बन्धी विधेयक भी पास किया गया है।

मानवाधिकार के समुचित संरक्षण हेतु उपयोगी सुझाव

1. वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वह प्रताड़ित हो अथवा अभियुक्त हो, दोनों के मानवाधिकारों की सुरक्षा की ओर बराबर ध्यान दे।
2. मीडिया से अपेक्षित है, कि वह मानवाधिकार के सम्बन्ध में सामान्य लोगों को अधिक से अधिक जानकारी विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, रेडियों, दूरदर्शन आदि के माध्यम से पहुँचाएं।
3. स्वयंसेवी एवं महिला संगठनों से अपेक्षित है कि जन–जागरण, जन सहभागिता और जनान्दोलन के रूप में इस विषय पर जनता को विभिन्न माध्यमों से शिक्षित करने का प्रयास करें। ताकि जनता मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को रोकने के लिए अनुकरणीय कदम उठा सके।
4. सरकार द्वारा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कदम यह उठाना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या शिक्षा, प्रदूषण नियंत्रण जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों के साथ–साथ ''मानवाधिकार शिक्षा'' को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए इससे निकट भविष्य में निश्चित ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे।
5. देश के सभी नागरिकों को मानवाधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम सुरक्षा बलों जैसे–पुलिस, सी0बी0आई0, सी0आई0डी0, आई0बी0 सेना आदि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मानवाधिकारों के सम्बन्ध में कानून–सम्मत्, तथ्यपरक और व्यवहारिक जानकारी देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए।
6. मानवाधिकार सम्बन्धी समस्त प्रावधान जो सिर्फ दस्तावेजों, अधिनियमों तथा संविधान के पन्नों में ही बंद हैं, उन्हें व्यवहारिक धरातल पर लागू किया जाए।

निष्कर्ष. कहा जा सकता है कि किसी भी देश में लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए मानवाधिकारों की स्थापना एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था का होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु वहाँ के लोगों का इन अधिकारों के प्रति जागरूक होना भी आवश्यक है। जनसंचार के आधुनिक व परम्परागत साधनों का उपयोग जागरूकता व प्रसार में बेहतर ढंग से किया जा सकता है। प्रतिवर्ष ''10 दिसम्बर मानवाधिकार दिवस' को अधिकारिक रूप से मनाकर चर्चाएं और भाषणबाजी करके हम अपने कर्त्तव्यों और भाषणबाजी करके हम अपने कर्त्तव्यों को इतिश्री मान लेते है, जबकि आवश्यकता इस दिशा में व्यवहारिकता और ठोस कदम उठाने की है, ताकि इस दिशा में कुछ सार्थक कार्य सम्पादित हो सके।

संदर्भ सूची

1. G. Aifredson; The University Declaration of Human Rights, A Commentary; OSLO, 1992: F
2. D. Beetham: "Politics and Human Rights', Oxford 1995.
3. T.V. Boven: "The United Nations and H. Rts, A Critical Appraised'. 1977.
4. M.M.J. Chan: "The rights to a Nationality as a Human Rights," HRLR 1991
5. J. Donnelly: "The concept of Human Rts," London, 1985
6. Darren J0' Byrne: "Human Rights A Introduction'.
7. Human Rights Commission Reports.
8. Dr. DAD. Basu: "An Introduction of Indian Constitution."
9. UNESCO, "Human Rights," Comments and interpretations, by Jacques Maritain, 1949
10. S. Subramanian, Human Rights: "International challenges Delhi" 1997.
11. Dr. H.K. Sharma & Prof. Rop. Joshi; "Human Rights and Duties" (2003)
12. Dr. HO. Agarwal: "Human Rts International Law"
13. Dr. 5K. Kapoor: "Human Rights."
14. TN. Dhar : "Goverance, Policing and Human Rights" IJPA 2000
15. Sankar Sen: "Human Rights in Developing Society," Delhi 1998
16. न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह डॉ0 नेमा एवं डा0 शर्मा : मानव अधिकार सिद्धान्त एवं व्यवहार।
17. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता : नारीवादी राजनीति (संघर्ष एवं मुद्दे)